130 26 सरकारी यात्रा के लिए खरीदे गए टिकटों पर सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा अर्जित माइलेज प्वाइंट/अन्य प्रोत्साहनों का सदुपयोग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. सी–13014/23/2009–सतर्कता के जरिए डीपीई को सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा अर्जित माइलेज बिंदुओं के सदुपयोग पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 01 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/ई. समन्वय/2008 के जरिए जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के संबंध में संदर्भ दिया है।

2. पर्याप्त विचार करने के पश्चात यह निश्चय किया गया है कि सरकारी यात्रा के लिए खरीदे गए टिकटों पर सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा अर्जित सभी माइलेज प्वाइंट का सदुपयोग संबंधित सीपीएसई द्वारा उनके कर्मचारियों की अन्य सरकारी यात्रा के लिए किया जाएगा।

3. यह सुनिश्चित करना उस संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क माइलेज प्वाइंट का उपयोग सरकारी यात्रा के लिए ही किया जाए और व्यक्तिगत दौरों के लिए नहीं। अन्य कोई प्रोत्साहन और निःशुल्क साथी आदि जैसे समान पैकेजों के बारे में सीपीएसई द्वारा मोलभाव किया जाना चाहिए ताकि सीपीएसई को लाभ मिल सके।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख के पश्चात अर्जित माइलेज प्वाइंट के मामले में लागू होंगे।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसई को उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दें ।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. डीपीई/3 (4)/08–वित्त, दिनांक : 20 फरवरी 2013)

*****